न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 01/17 वाद पत्र

उनवान

1. श्रीमति देवु पत्नी श्री भैरूलाल लुहार निवासी नयाखेडा जाटान पटवार सर्कल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील बाफना –

अधिवक्ता वादीया

निर्णय

दिनांक 11.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सगरेव मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि मौजा जगपुरा हाल नया खेडा जाटान पटवार सर्कल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा की सरहद में साबिक आराजी नम्बर 724 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 725 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 726 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा स्थित थी। इसमें से 4 बीघा जमीन वादिया को दिनांक 08/02/1986 को आवंटित हुई, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। आवंटन कें बाद पटवारी हल्का द्वारा वादिया को हाल आराजी नम्बर 4312/4556 रकबा 0.20 है0 व हाल आराजी नम्बर 4671/4324 कुल रकबा 0.71 है0 सुपुर्द की जिस पर वादिया आवंटन से अब तक काश्त करती आ रही है। राजस्व कर्मचारियों ने वादिया को पेमुद उक्त दोनो ही आराजियात को वादी के नाम पर अंकित नही कि जिससे पेमुदशुदा उक्त दोनो ही आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम चली आ रही है। प्रमाण में हाल नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। पैमुदशुदा हाल आराजियात को वादिया द्वारा काफी अंग मेहनत कर रूठ निकलाये व तालाब की गार भी भरवाई और उसे काबिल काश्त बनाया जो वर्तमान में उपजाउ जमीन होकर वादिया की काश्त खडी है। वादिया ने उक्त आराजियात को अपने खाते में दर्ज करने बाबत कई मर्तबा निवेदन किया और अंतिम बार दिनांक 20.12.2016 को भी निवेदन किया किन्तु कोई सांराश नही निकला । जिससे वादीया को यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की नौबत आई है। वाद वर्णित हाल आराजियात मोजा नया खेडा जाटान पटवार सर्कल सगरेव तहसील रायपुर की सरहद मे स्थित है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 11.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार वादीया वादपत्र के कलम संख्या 01 में ग्राम सगरेव के गत आराजी नम्बर 724, 725, 726 में से 4 बीघा भूमि दिनांक 08.02.86 को आवंटन होना दर्शाया गया है जो गलत है क्योंकि वाद पत्र के साथ संलग्न आवंटन प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसमें वादीयां को ग्राम सगरेव कि आराजी नं0 1631 में 4 बीघा भूमि दिनांक 08.02.86 को आवंटन होना जाहिर होता है। इस प्रकार आवंटन आदेश में कही भी गत आराजी नम्बर 724, 725, 726 का उल्लेख नही है। वाद पत्र मे हाल आ0न0 4312/4556 रकबा 0.20 हे0 एवं आराजी नं0 4671/4324 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 है0 पर प्रार्थीया सिपुर्द समय से ही काश्त करना और कब्जा होना बताया गया है जो गलत है। क्योंकि उक्त दोनो

अराजियात बिलानाम काबिल काश्त के रूप में दर्ज है। जंहा तक की मूल आराजी न0 4324 का प्रश्न है वह गत आराजी न0 725, 726 से बना हुआ है। परन्तु इसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवंन एवं खेल मैदान हेतु आवंटन हो चुका है। एवं भूमि उसी प्रयोजन में काम आ रही है। वादिया एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम सन् 2004 मे जो भूमि आवटन हुई उसका रेकार्ड में अमल होकर खाते मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र में मोजा जगपुरा हाल नयाखेडा बताया गया है जो गलत है। आवंटन आदेश के विपरित भिन्न आराजियात में से भूमि लेने कि मांग की गई है जो गलत होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। पर्चा तनकियात कायम कर शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम सगरेव के गत आराजी नम्बर 724, 725, 726 में से 4 बीघा भूमि दिनांक 08.02.86 को आवंटन होना दर्शाया गया है जो गलत है क्योंकि वाद पत्र के साथ संलग्न आवंटन प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसमें वादीयां को ग्राम सगरेव कि आराजी नं0 1631 में 4 बीघा भूमि दिनांक 08.02.86 को आवंटन होना जाहिर होता है। इस प्रकार आवंटन आदेश में कही भी गत आराजी नम्बर 724, 725, 726 का उल्लेख नही है। वाद पत्र मे हाल आ0न0 4312/4556 रकबा 0.20 हे0 एवं आराजी नं0 4671/4324 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 है0 पर प्रार्थीया सिपुर्द समय से ही काश्त करना और कब्जा होना बताया गया है जो गलत है। क्योंकि उक्त दोनो आराजियात बिलानाम काबिल काश्त के रूप में दर्ज है। जंहा तक की मूल आराजी न0 4324 का प्रश्न है वह गत आराजी न0 725, 726 से बना हुआ है। परन्तु इसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन एवं खेल मैदान हेतु आवंटन हो चुका है। एवं भूमि उसी प्रयोजन में काम आ रही है। वादिया एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम सन् 2004 मे जो भूमि आवटन हुई उसका रेकार्ड में अमल होकर खाते मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र में मोजा जगपुरा हाल नयाखेडा बताया गया है जो गलत है। आवंटन आदेश के विपरित भिन्न आराजियात में से भूमि लेने कि मांग की गई है जो गलत होने से से उक्त प्रकरण को खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण वादीया का वाद पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

वादीया अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण वादीया का वाद पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 01/17 वाद पत्र

उनवान

1. श्रीमति देवु पत्नी श्री भैरूलाल लुहार निवासी नयाखेडा जाटान पटवार सर्कल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीया अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण वादीया का वाद पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 11.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा